Schedule XLII-Form No.(J) 12

FORM OF HEADING OF DEPOSITION.

ST Case No. 279/2018

Deposition of Witness No. 01 for the Prosecution aged about 49 Years, taken on Solemn affirmation on the 18th day of December, 2019.

My Name JAIVIR SINGH ,

I am S/o of LATE HARI SINGH .

My age is 49 Years. I am by Religion Hindu My Nationality is Indian

My Permanent home is at: Mauza :- SONGHATTA , P.S.:- KOELWAR District:- BHOJPUR I reside at Home in: Mauza:- KOTWALI P.S. :- KOTWALI District :- BHAGALPUR , Where I am ASI KOTWALI, BHAGALPUR

ON OATH:

मुख्य परीक्षणः–

01. दिनांक 17.11.2017 को मैं जगदीशपुर थाना में स.अ.नि के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वादनी शुमा देवी के लिखित आवेदन के आधार पर जगदीशपुर थाना कांड संख्या 551/2017 दिनांक 17.11.2017 धारा 363, 365, भादवि का कांड अंकित कर कांड का अनुसंधान का भार मुझे ग्रहण कराया गया।

02. वादिनी का पुनः बयान लिया। घटनास्थल का निरिक्षण किया। घटनास्थल जगदीशपुर थाना अंतर्गत ग्राम खरबा स्थित वादिनी का पश्चिम दिशा का एक मंजिला छततेदार कमरा है। कमरा में टीन का गेट पश्चिम दिशा की ओर लगा हुआ है। इसी जगह से वादिनी के पति का टेम्पो ले जाने और वापस नही आने की बात बताई गई है।

03. घटनास्थल का चौहददी–

उत्तर–शकर चौधरी का झोपड़ी

दक्षिण राम देव मंडल का मकान,

पूरब वादिनी का जमीन,

पश्चिम ग्रामीण सड़क।

04. मैने दिनांक 18.11.2017 समय 11.15 बजे मृतक मुन्नी लाल राम का मृत्यु समीक्षा रिर्पोट तैयार किया यही वह मृत्यु समीक्षा रिर्पोट का कार्बन कॉपी है। इसे प्रदर्श संख्या 1 अंकित किया जाता है। मृत्यु समीक्षा रिर्पोट को कांड दैनिकी में अंकित किया।

05. साक्षी राजेश राम का साक्ष्य लिया।

06. अपहृत मुन्नी लाल के पास से बरामद मोबाईल का सीडीआर प्राप्त किया और उसे कांड दैनिकी में अंकित किया। इसके उपरांत मेरा हस्तांतरण हो गया। मैने अपना अनुसंधान का भार थानाध्यक्ष को सौप दिया।

07. मै अभियुक्त को पहचानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण सभी अभियुक्तो की तरफ सेः–

08. इसके अतिरिक्त मैंने कुछ भी अनुंसधान नहीं किया।

मेरे द्वारा कम्पयुटर पर लिखवाया गया।

(एम.पी सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अष्ठम,भागलपुर
18.12.2019

(एम.पी सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अष्ठम, भागलपुर
18.12.2019

टंकित

बयान लेखक
18.12.2019

गवाह का हस्ताक्षर

In the Court of M.P. Singh, 8th Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur

Order-sheet

S.T. NO.:- 279/18.

18.12.19	वाद के एकमात्र अभियुक्त की हाजरी दी गई। अभियोजन सा० सं० 01 जगदीश सिंह का परीक्षण तथा प्रति परीक्षण किया गया तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श 01 अंकित किया गया। साक्षी को उन्मुक्त किया गया। दि० 10.01.20 वास्ते पारूकहेतु अभियोजन बचे साक्षियों को प्रस्तुत करें। लेखापित A.D.J VIII